

न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

व्यव0वाद क0-38ए/2015
संस्थापित दि0-03.12.2015

1. गयादीन पिता रामलाल, उम्र 70 वर्ष,
2. रामरतन पिता स्व0 रामलाल, उम्र 72 वर्ष,
वाद कं.1 एवं 2 दोनों जाति भोयर, पेशा कृषि मजदूरी,
नि0 नाई मोहल्ला आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
3. रमेश पिता स्व0 रामलाल, उम्र 58 वर्ष,
4. कलाबाई जौजे रमेश, उम्र 55 वर्ष,
5. ईठोबा पिता स्व. रामलाल, उम्र 60 वर्ष,
6. द्वारका पिता स्व. रामलाल, उम्र 45 वर्ष,
7. (अ) रामप्यारीबाई बेवा स्व0 अशोक, उम्र 50 वर्ष,
(ब) कुं. संध्या नाबालिक पुत्री स्व. अशोक
वली माँ रामप्यारी बेवा अशोक
(स) संदीप पिता स्व. अशोक, उम्र 24 वर्ष,
वादी कं. 3 से 7 (अ), (ब), (स) तक सभी-जाति भोयर,
पेशा कृषि मजदूरी, सभी निवासी ग्राम शिवपुरी,
बोरीखुर्द, पो0 रतेड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल।

-----वादीगण

-:: विरुद्ध ::-

1. दिनेश पिता स्व0 रामलाल, उम्र 45 वर्ष,
पेशा कृषि मजदूरी, नि0ग्राम शिवपुरी, बोरीखुर्द पो. रतेड़ा,
तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
2. काशीबाई पिता स्व. रामलाल, उम्र 52 वर्ष,
पेशा गृहकार्य, नि0ग्राम जंबाड़ा, तह0 आमला, जिला बैतूल म0प्र0।
3. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय, बैतूल, जिला बैतूल।

-----प्रतिवादीगण

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 28.07.2016 को घोषित)

1— वादीगण ने विवादित भूमि ग्राम आमला प.ह.नं. 2/5 ब.नं. 07 वार्ड नं. 4 संत विनोबा वार्ड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल म0प्र0 में स्थित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0, कुल रकबा 0.024 आरे भूमि में वादी कं. 4 को छोड़कर शेष वादीगण एवं प्रतिवादीगण कं. 1 व 2 को समान स्वत्व व अंश बटवारा कराकर पृथक-पृथक आधिपत्य हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादी के वादपत्र के समस्त अभिवचनों की कंडिका कं. 1 से 11 एवं अनुतोष की कंडिका कं. 12 "अ" एवं "ब" को स्वीकार किया गया है।

3— वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी कं. 1 व 2 के मूल पुरुष रामलाल के वारसान है। जिसमें वादी कं. 1,2,3,4,5,6 मूल पुरुष रामलाल के पुत्रगण है तथा वादी कं. 4 कलाबाई एवं वादी कं. 3 रमेश की पत्नी है। वादी कं. 7 स्व0 रामलाल के मृत पुत्र अशोक की विधवा एवं उसके बच्चे है। उसी प्रकार प्रतिवादी कं. 1 स्व0 रामलाल का पुत्र एवं प्रतिवादी कं. 2 पुत्री है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ग्राम आमला प0ह0नं. 2/5 ब.नं. 7 वार्ड कं. 4 संत विनोबा वार्ड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल खसरा नं. 127 रकबा 0.008 हे0 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0, कुल रकबा 0.024 आरे, जिसकी चतुरसीमा उत्तर में दीपक वराटे, दक्षिण में बस्ती का रोड, पूर्व में विजय पटेल और पश्चिम में सुखनंदन नाई जिस पर स्व0 रामलाल के विधिक वारसान पुत्र गयादीन, रामरतन, रमेश, ईटोबा, द्वारका, अशोक, मृत पुत्र के वैध प्रतिनिधी रामप्यारी बेवा अशोक एवं पुत्र संदीप तथा नाबालिक पुत्री संध्या तथा प्रतिवादी कं. 1 दिनेश एवं प्रतिवादी कं. 2 पुत्री काशीबाई को शामिल सरीक स्वत्व स्वामित्व एवं अधिकारी कब्जा प्राप्त हुआ था जिस पर उनके स्वत्व के आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर चला आ रहा है।

4— वादीगण ने आगे अपने वाद पत्र में बताया है कि वादग्रस्त शामिल सरीक संयुक्त जमीन में से 0.004 आरे जमीन वादी कं. 5 ईटोबा ने वादी कं. 4 के हक में पंजीकृत विक्रय अभिलेख दिनांक 15/12/10 के माध्यम से 15000/-रूपये के प्रतिफल में विक्रय कर दी थी। जिसमें वादी कं. 5 के अंश तक वैध विक्रय होकर उसका समायोजन वादी कं. 4 के पक्ष में किए जाने से वादी कं. 5 ईटोबा के अंश की कोई जमीन उक्त वाद ग्रस्त जमीन अब शेष नहीं बची है और वादी कं. 5 ने उसके अंश से जो 0.001 आरे जमीन उक्त विक्रय पत्र में वादी कं. 4 को ज्यादा

विक्रय कर दी हैं उसे इस विक्रय पत्र में अवैध अकृत एवं शून्य होने से वादीगण द्वारा सम्मिलित नहीं माना गया है।

5— वादीगण कं 1 से 7 तथा प्रतिवादी कं 1 व 2 का समान शामिल सरीक संयुक्त अंश है जिसका अभी तक उसके अंशों के अनुसार विधिवत् पृथक-पृथक बटवांरा नहीं हुआ है। विवादित भूमि पर समान स्वत्व एवं अंश का बटवांरा कराकर पृथक-पृथक अंश का आधिपत्य दिलाए जाने का निवेदन कर यह दावा स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

6— प्रतिवादी कं. 1 व 2 ने अपना जवाब पेश कर वादीगण के संपूर्ण वाद पत्र एवं अनुतोष को स्वीकार किया है।

7— वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं दस्तावेज तथा प्रतिवादीगण केद्वारा प्रस्तुत लिखित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं, जिनका मेरे द्वारा निराकरण कर उनके समक्ष निष्कर्ष मेरे द्वारा दिये जा रहे हैं, जो विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

विचारणीय प्रश्न

निष्कर्ष

1—“क्या विवादित भूमि ग्राम आमला, प0ह0नं0 02/05, ब0नं0 7 वार्ड कं0 4 संत विनोबा वार्ड आमला, तह0 आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि खसरा नं0 127 रकबा 0.008, खसरा नं. 128 रकबा 0.016 में वादी कं. 5 को छोड़कर शेष वादीगण एवं प्रतिवादी कं. 1, 2 समान अंश 0.003 आरे का होकर वे उसके स्वत्वधारी हैं?

2—“क्या वादीगण कं. 1,2,3,4,6,7 एवं प्रतिवादी कं. 1, 2 वादग्रस्त भूमि में समान अंश का बटवांरा कराकर पृथक कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

3— “सहायता एवं वाद व्यय?”

—:: निष्कर्ष एवं उसके आधार ::—

—::विचारणीय प्रश्न कं0-1, 2 का निराकरण::—

8— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं. 1, 2 का निराकरण एक साथ

किया जा रहा है, क्योंकि विश्लेषण में साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो।

9— वादी साक्षी रामरतन (वा0सा0-1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह तथा शेष वादीगण तथा प्रतिवादी कं. 1, 2 के मूलपुरुष स्व0 रामलाल की मृत्यु के उपरांत उसकी छोड़ी हुई जमीन स्थित ग्राम आमला प.ह.नं. 2/5 ब.नं. 7 वार्ड कं. 4 संत विनोबा वार्ड आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित खसरा नं 127 रकबा 0.08 हे0 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0, कुल रकबा 0.024 आरे जिसकी चतुरसीमा उत्तर में दीपक वराटे, दक्षिण में बस्ती का रोड, पूर्व में विजय पटेल और पश्चिम में सुखनंदन नाई, जिस पर स्व0 रामलाल के विधिक वारसान पुत्र गयादीन, रामरतन, रमेश, ईटोबा, द्वारका, अशोक, मृत पुत्र के वैध प्रतिनिधि रामप्यारी बेवा अशोक एवं पुत्र संदीप तथा नाबालिक पुत्री संध्या तथा प्रतिवादी कं. 1 दिनेश एवं प्रतिवादी कं. 2 पुत्री काशीबाई को शामिल सरीक स्वत्व स्वामित्व एवं अधिकार कब्जा प्राप्त हुआ था जिस पर उनके स्वत्व के आधार पर उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होकर चला आ रहा है। उक्त साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी कलाबाई (वा0सा02), द्वारका (वा0सा03) ने अपने साक्ष्य से किया है और उक्त तथ्यों को भी अपनी साक्ष्य में बताया है।

10— वादी साक्षी रामरतन (वा0सा01) ने आगे अपनी साक्ष्य में बताया है कि वादग्रस्त शामिल सरीक संयुक्त भूमि में से 0.004 आरे जमीन वादी कं. 5 ईटोबा ने वादी कं. 4 के हक में पंजीकृत विक्रय अभिलेख दिनांक 15/12/10 को माध्यम से 15000/-रुपये के प्रतिफल में विक्रय कर दी थी जिसमें से वादी कं. 5 के अंश तक वैध विक्रय होकर उसका समायोजन वादी कं. 4 के पक्ष में किए जाने से वादी कं. 5 ईटोबा के अंश की अब कोई जमीन उक्त वादग्रस्त जमीन में शेष नहीं बची है, और वादी कं. 5 इटोबा ने उसके अंश से जो 0.001 आरे जमीन उक्त विक्रय पत्र में वादी कं. 4 इटोबा को ज्यादा विक्रय कर दी है उसे इस विक्रय पत्र में अवैध, अकृत एवं शून्य होने से वादीगण द्वारा सम्मिलित नहीं माना गया है।

11— आगे वादी ने अपने शपथ पत्र की साक्ष्य में बताया है कि वादी कं. 5 को छोड़कर वादी कं. 1 वादी कं. 2 वादीगण 3,4,6 व 7 तथा प्रतिवादी कं. 1 एवं 2 का समान शामिल सरीक संयुक्त अंश है। जिनका अभी तक अपने अंशों के अनुसार विधिवत् पृथक-पृथक बटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त जमीन शामिल सरीक संयुक्त रूप से वादी कं. 5 ईटोबा को छोड़कर अन्य सभी वादीगण तथा प्रतिवादी कं0 1 एवं 2 के कब्जे में चली आ रही है। इसलिये उक्त वादीगण ने वादग्रस्त जमीन का बटवारा करने हेतु प्रतिवादी कं0 1 एवं 2 से ग्राम आमला में वर्ष 2015 के माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में कहा, तो प्रतिवादी कं. 1 एवं 2 ने उक्त वादग्रस्त जमीन का बटवारा करने से मना कर दिया। चूंकि यह वादग्रस्त जमीन शामिल सरीक डायवर्टेड जमीन है इसलिए इसके बटवारा करने का क्षेत्राधिकार राजस्व

न्यायालय तहसीलदार आमला को प्राप्त नहीं होने से वह एवं वादीगण ने यह वाद उक्त वादग्रस्त जमीन में उसके स्वत्व की घोषणा एवं उसके अंश के मुताबिक पृथक-पृथक बंटवारा तथा पृथक-पृथक आधिपत्य की डिक्री पाने हेतु यह दावा पेश किया है। उक्त साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी कलाबाई (वा0सा02), वादी साक्षीद्वारका (वा0सा03) ने भी अपनी साक्ष्य से किया है। उपरोक्त तथ्यों को ही अपनी साक्ष्य में बताया है। उक्त साक्ष्य के संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है।

12- वादी साक्षी रामरतन (वा0सा01) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 11 में स्वीकार किया है कि वाद ग्रस्त जमीन में ईठोबा को छोड़कर शेष सभी का बराबर का हिस्सा है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि ईठोबा ने उसका हिस्सा कलाबाई को विक्रय कर दिया है। वादी साक्षी कलाबाई (वा0सा02) ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 9 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त जमीन में से ईठोबा के हिस्से की जमीन उसने खरीदी है। खरीदी जमीन में से 3 आरे जमीन उसकी है जो उसे मान्य है। उसी प्रकार वादी साक्षी द्वारका (वा0सा03) ने भी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि ईठोबा ने उसके हक हिस्से की जमीन कलाबाई को बेच दी है। इस प्रकार वादीगण के द्वारा अपनी साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि स्व0 रामलाल की है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान अंश के स्वत्वधारी है और यह भी स्पष्ट होता है कि वादी क्र. 5 ईठोबा ने अपने अंश विक्रय कर दिया है। इस प्रकार वादी साक्षियों के शपथ पत्र के साक्ष्य अनुसार विवादित भूमि के समान स्वत्व व अंश का पृथक-पृथक बटवारा कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही वादी साक्षियों के शपथ पत्र के साक्ष्य अनुसार ईठोबा ने विवादित भूमि से अपने अंश का विक्रय कर चुका है।

13- किन्तु दस्तावेजी साक्ष्य भी महत्वपूर्ण होती हैं। न्यायालय के समक्ष यह देखा जाना होगा कि क्या विवादित भूमि रामलाल की है जिसमें वादी क्र. 5 को छोड़कर शेष वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 समान स्वत्व व अंश पाने के अधिकारी है।

14- वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी0 1 का दस्तावेज वर्ष 1971-72 का नगरी तथा नगरोत्तर क्षेत्र का अधिकार अभिलेख जिसमें खसरा नं. 128 रकबा 0.04/0.016 खसरा नं. 127 रकबा 0.02/0.08 हे0 भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रं. 1 व 2 के पूर्वज रामलाल का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। उक्त दस्तावेज से यही स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि स्व0 रामलाल के स्वत्व की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण स्व0 रामलाल के वारसान है जो समान स्वत्व व अंश पाने के अधिकारी है।

15— वादी ने अपने समर्थन में प्र0पी0 2 एवं प्र0पी0 3 खसरा किश्तबंदी वर्ष 2014-15 प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 127 रकबा 0.008 और खसरा नं. 128 रकबा 0.016 कुल रकबा 0.024 हे0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण का नाम संयुक्त खातेदार एवं भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। नक्शा प्र0पी0 4 प्रस्तुत किया है जिसमें भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार के रूप में नाम उल्लेख है। प्र0पी0 6 खसरा एवं किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2011-16 प्रस्तुत किया है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार के रूप में नाम उल्लेख है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से यह उल्लेख होता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान स्वत्व एवं अंश पाने के अधिकारी हैं।

16— प्र0पी0 7 का दस्तावेज रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/12/10 का प्रस्तुत किया है जिसमें विक्रेता ईठोबा और क्रेता श्रीमति कलाबाई के द्वारा 15000/-रुपये में विवादित भूमि खसरा नं. 127 में से रकबा 0.002 आरे और खसरा नं. 128 में से रकबा 0.002 आरे, कुल रकबा 0.004 आरे भूमि वादी कं. 4 के द्वारा क्रय की गई है। किन्तु वादपत्र की कंडिका 1 के वारसान अनुसार विवादित भूमि में से वादी कं. 5 को खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 भूमि में से 0.03 आरे ही भूमि विक्रय कर सकता था। किन्तु उसके द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार 0.004 भूमि विक्रय की गई है। इस प्रकार वादी कं. 5 के द्वारा 0.001 भूमि अधिक विक्रय की गई है, जो कि विधि संगत नहीं हैं उक्त भूमि वादी कं. 5 के द्वारा अपने अंश से अधिक भूमि विक्रय की गई है इस कारण उसे मात्र अपने अंश तक ही विक्रय करने का अधिकार है। इस प्रकार वादी कं. 4 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/12/10 के अनुसार वादी कं. 5 से क्रय की गई भूमि 0.03 आरे का ही स्वत्व अधिकारी माना जायेगा। शेष भूमि वादी कं. 5 ईठोबा को छोड़कर शेष वादीगण एवं प्रतिवादीगण समान स्वत्व व अंश का कब्जा प्राप्त करेंगे।

17— इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0 भूमि स्व0 रामलाल की है जिसमें वादी कं. 1 से 6, रकबा 0.03 एवं वादी कं. 7 अ,ब,स, रकबा 0.03 एवं प्रतिवादीगण कं. 1 व 2 रकबा 0.03 के समान स्वत्व एवं समान अंश का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। साथ ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/12/10 के अनुसार वादी कं. 4 रकबा 0.06 का स्वत्व एवं अंश प्राप्त होगा। क्योंकि वादी कं. 5 के द्वारा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार अपना अंश वादी कं. 4 को विक्रय किया है इस कारण उसे रकबा 0.06 हे0 भूमि का स्वत्वधारी माना जायेगा। इस प्रकार वादीगण अपने अंश अनुसार विवादित भूमि का पृथक बटवारा कराकर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

18— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि विवादित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 128 रकबा 0.016 हे0 भूमि में से वादी कं. 1,2,3,6, रकबा 0.03 हे0 भूमि एवं वादी कं. 4 रकबा 0.06 हे0 भूमि एवं वादी कं. 7 अ,ब,स, रकबा 0.03 हे0 भूमि और प्रतिवादी कं. 1 व 2 रकबा 0.03, 0.03 हे0 भूमि के स्वत्व व अंश का कब्जा प्राप्त करेंगे। उक्तानुसार ही पृथक-पृथक अंश का बटवांरा कराकर अपने अंश का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं0 1 का निराकरण आंशिक रूप से "प्रमाणित" किया जाता है एवं विचारणीय प्रश्न कं0 2 का निराकरण भी आंशिक रूप से "प्रमाणित" किया जाता है।

सहायता एवं वाद व्यय

19— वादीगण अपना दावा प्रमाणित करने में आंशिक रूप से सफल रहा है। अतः निम्नानुसार की डिक्की एवं आज्ञाप्ति पारित की जाती है।

1— यह घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 127 रकबा 0.016 में से वादी कं. 1,2,3 व 6, रकबा 0.03 आरे भूमि के स्वत्व एवं उतने ही अंश का पृथक-पृथक बटवांरा कराकर अपने अंश का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। यह भी घोषित किया जाता है कि वादी कं. 7 अ,ब,स, रकबा 0.03 आरे भूमि के स्वत्व एवं अंश का बटवांरा कराकर पृथक कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

2— यह भी घोषित किया जाता है कि विवादित भूमि खसरा नं. 127 रकबा 0.008 एवं खसरा नं. 127 रकबा 0.016 हे0 में से वादी कं. 4 रकबा 0.06 आरे भूमि के स्वत्व एवं उतने ही अंश का पृथक बटवांरा कराकर अपने अंश का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है।

3— वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

4— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय हो।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर
पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

(धनकुमार कुडोपा)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

आमला जिला बैतूल म0प्र0

आमला जिला बैतूल म0प्र0

